

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

प्रयागराज

पत्र संख्या: - सीएफओ / एफएस / अ0आडिट0 / 2022/
सेवा में,

दिनांक: - अ, 11, 2022

प्रबंधक / आवेदक

एस0 पी0 कॉन्वेंट इंटर कालेज,

चक मुंडेरा प्रयागराज

विषय - एस0 पी0 कॉन्वेंट इंटर कॉलेज चक मुंडेरा प्रयागराज में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों का फायर आडिट प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबंधक / आवेदक एस0 पी0 कॉन्वेंट इंटर कालेज, चक मुंडेरा प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत प्रथमा पत्र के माध्यम से स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों के प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूल, भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं / उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी सिविल लाइन प्रयागराज द्वारा कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

1- स्कूल भवन तक अग्निशमन के सभी प्रकार के वाहन आ-जा सकते हैं।

2- फायर एक्सटिंग्यूअर आई0 एस0 मानक 2190 के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील में स्थापित पाया गया। जिसका निरीक्षण / परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

3- स्कूल भवन में स्थानीय फायर स्टेशन सीयूजी मो. नं0 जगह - जगह अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध / प्रस्तावित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों / व्यवस्थाओं का फायर आडिट प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1- प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का सदैव का कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना आपेक्षित है।

2- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आपेक्षित है।

3- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इनकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केंद्र को दी जाये तथा अविलम्ब पाई गई त्रुटि का निवारण किया जाना आपेक्षित है।

4- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माँकड्रिल / फायरड्रिल कराई जाये तथा इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाना आपेक्षित है।

5- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेंशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाणपत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक का होगा तथा निर्गत प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

7- अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाए रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण - पत्र ही स्वतः निरस्त माना जाएगा।


Principal

S.P. Convent Inter College
Chak Mundera, Prayagraj


Manager

S. P. Convent Inter College
Chak Mundera, Prayagraj

आर. के. प्रामडिया
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज